समाहरणालय, मधेपुरा
(गोपनीय शाखा)
पत्रांक...2768.../गो0

प्रेषक,

जिलाधिकारी
मधेपुरा।

सेवा में,

जिला नजारत उप समाहर्त्ता, मधेपुरा
जिला योजना पदाधिकारी, मधेपुरा
सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग
कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, मधेपुरा
सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी
सभी अंचल अधिकारी, मधेपुरा जिला।

मधेपुरा, दिनांक...24/11/13...

विषय : **दैनिक समाचार पत्र में छपी खबर ''डीएम की फर्जी हस्ताक्षर से डेढ़ करोड़ की निकासी'' के संबंध में।**

प्रसंग : दिनांक 23-11-2013 को समाचार पत्र में छपी खबर के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक दिनांक 23-11-2013 को दैनिक समाचार पत्र में छपी खबर **'डीएम की फर्जी हस्ताक्षर से डेढ़ करोड़ की निकासी'** के संदर्भ में कहना है कि जिला योजना कार्यालय, पटना के खाते से 1.51 करोड़ रूपये की फर्जी ढ़ंग से निकासी संबंधी मामला प्रकाश में आया है।

2- इससे पूर्व भी सिमरी बख्तियारपुर के एक मामले दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ था कि **'फर्जीवाड़ा कर निकाले साढ़े छह लाख रूपये'** चेक बूक से अवैध रूप से रूपये की निकासी की गयी और इस संबंध में आपको सूचित भी किया गया था।

3- अतः पुनः सभी पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि भविष्य में इस तरह के मामले नहीं हो, इसके लिए सभी को चेक बुक सेफ कस्टडी में रखने तथा सचेत रहने की आवश्यकता है। साथ ही यह भी निदेश दिया जाता है कि अपने-अपने विभाग /कार्यालय में जो भी नाजिर एवं लेखापाल है, उसका मोबाईल नम्बर संबंधित बैंक को उपलब्ध करावें, जिससे कि सभी संबंधित बैंको द्वारा बड़ी रकम निकाले जाने की जानकारी SMS/ Auto Alerts द्वारा दिया जा सके।

4-निर्गत Cheques, Encasheshed एवं Un encashed Cheques का पूर्ण ब्यौरा रखें, प्रतिमाह प्रत्येक खाता का BRS (Bank Reconcilition Statement) जरूर प्राप्त करें, मिलान कर सत्यापन करें कहीं गलत निकासी तो नहीं हुई है। Account Payee Cheques से भी गड़बड़ी हो सकती है, इस पर भी ध्यान दें।

4- जिला अग्रणी प्रबंधक, मधेपुरा से अनुरोध किया गया कि वे बैंको को निदेश दें कि यदि अधिक राशि की निकासी होती है, तो संबंधित नाजीर /लेखापाल के मोबाईल पर इसकी सम्पुष्टि की जाए कि उनके खाते से उक्त राशि की निकासी हो रही है, ताकि राशि की निकासी में किसी प्रकार की गड़बड़ी होने की गुंजाईश नहीं रहे।

कृपया इसे अति आवश्यक समझा जाए।

विश्वासभाजन

24/11/13

जिलाधिकारी
मधेपुरा।